कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश
पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल

जी.पी. सिंघल,
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 2205/स्टाांप/20
भोपाल, दिनांक 30/6/2004

विषय : फर्जी स्टाम्पों के विषय में छानबीन करने बावत्।

प्रिय श्री,

कृपया इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3135/स्टाम्प/2003 दिनांक 22.11.2003 का अवलोकन करें। बहुत से जिला पंजीयकों द्वारा अब तक उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। यह निर्देश प्रदेश में फर्जी स्टाम्पों के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। अतः सभी जिला पंजीयक/उप–पंजीयकों से यह अपेक्षा की जाती है, कि वे निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, अन्यथा यह समझा जाएगा, कि वे फर्जी स्टाम्पों के विक्रय की अनियमित कार्यवाही में सहयोग कर रहे हैं।

2. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अब निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(1) उप–पंजीयक प्रतिमाह प्रपत्र "ब" में जानकारी संधारित करें एव उसका मिलान कोषालय/उप–कोषालय में संधारित स्टाम्प विक्रेतावार जानकारी से करें। जिन प्रकरणों में उक्त जानकारी से भिन्नता पाई जाती है। उनमें तत्काल जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(2) उप–पंजीयक प्रतिमाह कम से कम 5 स्टाम्प विक्रेताओं के स्टाक का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करें। भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगति की विस्तार से जांच की जाकर नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही करें।

(3) सभी जिला पंजीयक लोक कार्यालय के निरीक्षण के दौरान यह भी ज्ञात करेंगे, कि उक्त संस्था द्वारा दस्तावेजों में लगाए गए स्टाम्प किन–किन स्टाम्प विक्रेताओं से खरीदे गए हैं। खरीदे गए स्टाम्पों की सूची परिशिष्ट "क" में तैयार कर, लोक कार्यालयों के प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन का अभिन्न अंग बनाया

जाये। निरीक्षण पूर्ण होने पर उक्त परिशिष्ट "क" में दी गई जानकारी की पुष्टि संबंधित मुद्रांक विक्रेताओं के अभिलेख से की जाय, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त संस्था को विक्रय किए गए स्टाम्पं, संबंधित स्टाम्प विक्रेता ने अपने स्टाक एवं विक्रय रजिस्टर में दर्शाए हैं अथवा नहीं तथा कोई अन्य व्यक्ति, तो उक्त स्टाम्प विक्रेता के नाम से स्टाम्प विक्रय नहीं कर रहा है।

(4) जिला पंजीयक प्रतिमाह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं पर जानकारी भेजें :–

(i) उप–पंजीयकवार किए गए स्टाम्प विक्रेताओं के निरीक्षण की संख्या। यदि निरीक्षण निर्धारित संख्या से कम किया गया हो, तो उसके कारण दर्शाए जायं।

(ii) जिला–पंजीयक द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या एवं निर्धारित से कम निरीक्षण होने पर उसके कारण सहित टीप।

(iii) उप–पंजीयक/जिला पंजीयक के निरीक्षणों में पाई गई विसंगतियों के विषय में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण।

(iv) उप–पंजीयक द्वारा उप–कोषालय/कोषालय से स्टाम्प विक्रेताओं को प्रदत्त स्टाम्पों की मात्रा एवं स्टाम्प विक्रेता द्वारा दर्शाई गई स्टाम्प क्रय की मात्रा में अन्तर होने पर की गई कार्यवाही का विवरण।

(v) इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 22.11.2003 में उल्लिखित 6 बिन्दुओं पर जानकारी।

(vi) लोक कार्यालयों के निरीक्षण के उपरांत बनाए गए परिशिष्ट "क" की जानकारी के आधार पर किए गए स्टाम्प विक्रेताओं के अभिलेखों की जांच अन्तर्गत पाई गई विसंगतियों के विषय में प्रतिवेदन।

4. उक्त जानकारी प्रतिमाह 10 तारीख तक मुझे अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए। यह जानकारी समय पर नहीं भेजने वाले अधिकारियों के विरूद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

(जी.पी. सिंघल)

प्रति,

जिला पंजीयक

(म.प्र.)

परिशिष्ट "क"

लोक कार्यालय का नाम .... निरीक्षण दिनांक ....

क्रमांक	दस्तावेज का स्वरूप	दस्तावेज में देय स्टाम्प	दस्तावेज में चुकाए गए स्टाम्प	स्टाम्प क्रय का दिनांक	स्टाम्प विक्रेता का नाम पता एवं क्रमांक	स्टाम्प विक्रेता की पंजी में सत्यापन का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला पंजीयक

.... (म.प्र.)